**भारत सरकार**
**वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय**
**विकास आयुक्त कार्यालय, इन्दौर विशेष आर्थिक क्षेत्र**
**तृतीय मंजिल, ब्रिलियन्ट टाइटेनियम, प्लॉट नं. 9, स्कीम नं. 78, पार्ट–।।,**
**ब्रिलियन्ट कन्वेंशन सेन्टर के पास, इन्दौर–452010**

इन्दौर विशेष आर्थिक क्षेत्र, पीथमपुर, जिला धार में स्थापित कारखानों के लिये कारखाना अधिनियम, 1948 सहपठित म. प्र. कारखाना नियम, 1962 के नियम 123 के अंतर्गत वर्ष 2019–20 एवं 2020–21 के लिए सक्षम व्यक्ति के रूप में मान्यता देने हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदनकर्ता जो उपरोक्त नियम से उपाबद्ध अनुसूची में निर्धारित की गई अर्हता, अनुभव और अन्य अर्हताएँ धारण करते हों उपरोक्त कार्यालय में दिनांक 22.03.2019 तक अपना आवेदन दे सकते हैं। निर्धारित प्रारूप में ना होने पर तथा निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

**विकास आयुक्त**